सत्यमेव जयते

बिहार विधान सभा

की

शून्यकाल समिति

का

107वाँ प्रतिवेदन

(ग्रामीण विकास विभाग)

(बिहार विधान सभा की शून्यकाल समिति द्वारा प्रकाशित)

(दिनांक 22-07-2026 को सदन में उपस्थापित) ।

विषय-सूची

		पृष्ठ
1.	शून्यकाल समिति के सदस्यों तथा शून्यकाल समिति शाखा के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची ।	क
2.	प्राक्कथन	ख
3.	प्रतिवेदन	1 - 3
4.	परिशिष्ट	4 - 20

बिहार विधान सभा सचिवालय

बिहार विधान सभा की शून्यकाल समिति के सदस्यों की सूची

सभापति

1. श्री नीतीश मिश्रा	स०वि०स०

सदस्यगण

1. श्री निरंजन राय	स०वि०स०
2. श्री लखेन्द्र कुमार रौशन	स०वि०स०
3. श्री राजेश कुमार सिंह	स०वि०स०
4. श्री सत्तानंद सम्बुद्ध उर्फ ललन	स०वि०स०
5. श्री कृष्णामुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया	स०वि०स०
6. श्री अरूण सिंह	स०वि०स०
7. श्री आलोक रंजन	स०वि०स०
8. श्री देवेश कांत सिंह	स०वि०स०
9. श्री केदार प्रसाद गुप्ता	स०वि०स०
10. श्री नीरज कुमार सिंह	स०वि०स०

सभा सचिवालय के पदाधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

1. श्री राज कुमार	सचिव
2. श्री असीम कुमार	निदेशक
3. श्रीमती अनुपमा प्रसाद	उप-सचिव
4. श्री सुधांशु राय	प्रशाखा पदाधिकारी
5. श्रीमती सुषमा	सहायक
6. श्रीमती उषा कुमारी	सहायक
7. श्री संजय भारती	सहायक

प्राक्कथन

मैं, सभापति, शून्यकाल समिति बिहार विधान सभा, पटना की हैसियत से सप्तदश बिहार विधान सभा में ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित द्वितीय सत्र से नवम् सत्र के विभिन्न तिथियों में माननीय सदस्य श्री महबूब आलम, स०वि०स०, श्री विनय कुमार, स०वि०स०, श्री रामबली सिंह यादव, स०वि०स० एवं श्रीमती गायत्री देवी, स०वि०स०, श्री सुनील मणि तिवारी, स०वि०स०, श्री मुकेश कुमार रौशन, स०वि०स०, मो० कामरान, स०वि०स०, श्रीमती प्रतिमा कुमारी, स०वि०स०, श्री अचमित ऋषिदेव, स०वि०स०, श्री मनोज मंजिल, स०वि०स०, श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता, स०वि०स०, श्री सत्यदेव राम, स०वि०स०, श्री अरूण शंकर प्रसाद, स०वि०स० एवं श्री महा नन्द सिंह, स०वि०स० द्वारा सदन में लाये गये शून्यकाल सूचनाओं पर शून्यकाल समिति का 107वाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित उपर्युक्त माननीय सदस्यों से प्राप्त शून्यकाल सूचनाओं के निष्पादन में विभागीय पदाधिकारियों ने अपना सक्रिय सहयोग प्रदान किया है।

अंत में प्रतिवेदन तैयार करने में समिति के सभी माननीय सदस्यों तथा सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों, जिन्होंने व्यक्तिगत रूचि लेकर यह कार्य कुशलतापूर्वक संपन्न किया है, को भी मैं धन्यवाद देता हूँ ।

नीतीश मिश्रा,
सभापति,
शून्यकाल समिति,
बिहार विधान सभा, पटना ।

प्रतिवेदन
ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित प्रतिवेदन

सप्तदश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र से नवम् सत्र तक में ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गये शून्यकाल सूचनाओं की संख्या 72 है, जिसमें से कुल 28 शून्यकाल सूचनाओं को अन्य संबंधित विभाग को हस्तान्तरित किया गया है। कुल 24 शून्यकाल सूचनाओं का निष्पादनोपरान्त प्रतिवेदन उपस्थापित किया जा चुका है। शून्यकाल समिति की दिनांक 18 जनवरी, 2024 की विभागीय बैठक में सभी कुल 17 शून्यकाल सूचनाओं के उत्तर को समीक्षोपरान्त निष्पादित माना गया है। जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है :--

क्र० सं०	माननीय सदस्यों का नाम।	संक्षिप्त विषय	सदन में उपस्थापन की तिथि।	विभाग को भेजा गया पत्रांक/ दिनांक।	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक/दिनांक।
1.	श्री महबूब आलम	मनरेगा ग्रामीण जनता के लिये रोजगार का एक बड़ा माध्यम है। अभी मनरेगा के तहत कब्रिस्तान, श्मशानघाट एवं खेल के मैदान की मिट्टी भराई के काम पर रोक लगा दी गयी है। मनरेगा में मिट्टी भराई के काम को पूर्ववत् चालू कराने की माँग के संबंध में।	30.03.2022	21/22-1987 12.05.2022	ग्रामीण विकास विभाग के ज्ञापांक 1838097, दिनांक 14 जून, 2023 द्वारा उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट-01)
2	श्री विनय कुमार	गया जिला के परैया प्रखंड के ग्राम-सखवां में पुराने तालाब की सफाई एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य शीघ्र कराने के संबंध में।	30.03.2022	04/22-1149 21.03.2022	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गया के ज्ञापांक 2041, दिनांक 8 जून, 2023 द्वारा उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट-02)
3	श्री रामबली सिंह यादव	आवास प्लस योजना की सूची बनाने में खानापूर्ति हुयी है। पंचायतों के कई गाँवों में एक भी गरीबों का नाम नहीं जोड़ा गया है। प्रत्येक गाँव में फिर से अभियान चलाकर नाम जोड़ने की माँग के संबंध में।	14.03.2022	11/22-1722 18.04.2022	ग्रामीण विकास विभाग के ज्ञापांक 1031258, दिनांक 25 जून, 2022 द्वारा उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट-03)
4	श्रीमती गायत्री देवी	सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड में पंचायतों की संख्या 27 है, जो बहुत बड़ा है और जनसंख्या चार लाख से अधिक है, प्रशासनिक कार्य में कठिनाई होती है, सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड को दो भाग कर एक और नया प्रखण्ड बनाने की माँग के संबंध में।	23.03.2022	16/22-1654 18.04.2022	ग्रामीण विकास विभाग के ज्ञापांक 1603428, दिनांक 28 फरवरी, 2023 द्वारा उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट-04)
5	श्री सुनील मणि तिवारी	पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत लगभग 29 वर्ष पूर्व संग्रामपुर प्रखंड की स्थापना हुयी थी, परंतु अभीतक एक छोटा सा सामुदायिक भवन में चल रहा है यथाशीघ्र नया भवन बनवाने की माँग के संबंध में।	24.03.2021	22/21-1528 03.06.2021	ग्रामीण विकास विभाग के ज्ञापांक 1827138, दिनांक 09 जून, 2023 द्वारा उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट-05)
6	श्री महबूब आलम	आंध्र प्रदेश सरकार की तर्ज पर बिहार सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के लॉकडाउन काल के सभी प्रकार के कर्जों को माफ और उनके लिये रोजगार सृजन की व्यवस्था करने की माँग के संबंध में।	05.03.2021	11/21-907 15.03.2021	ग्रामीण विकास विभाग के ज्ञापांक 440726, दिनांक 09 अप्रील, 2021 से उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट-06)

क्र० सं०	माननीय सदस्यों का नाम।	संक्षिप्त विषय	सदन में उपस्थापन की तिथि।	विभाग को भेजा गया पत्रांक/दिनांक।	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक/दिनांक।
7	श्री मुकेश कुमार रौशन	सरकार के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारियों के अधिकारों एवं कर्तव्यों में कटौती की गयी है। जिससे बी०डी०ओ० एवं बी०पी०आर०ओ० सहित प्रमुख के बीच तनाव व्याप्त है। प्रखंडों में प्रशासनिक अधिकार एवं संपूर्ण नियंत्रण पूर्व की तरह प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिये जाने की माँग के संबंध में ।	19.12.2022	34/22-166 12.01.2023	ग्रामीण विकास विभाग के ज्ञापांक 1825961, दिनांक 08 जून, 2023 से उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट-07)
8	श्री रामबली सिंह यादव	जहानाबाद जिलान्तर्गत घोसी प्रखण्ड के गिरधरपुर महादलित टोला के घरों में पानी जमा है। इसलिये किसानों द्वारा गली से लेकर बगल के खेत तक निजी बताया जा रहा है। प्रत्येक घर में सोख्ता बनवाने या पानी निकासी का कोई उपाये करने की माँग के संबंध में ।	17.03.2021	18/21-1527 03.06.2021	ग्रामीण विकास विभाग के ज्ञापांक 1839969, दिनांक 15 जून, 2023 से उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट-08)
9	श्रीमती गायत्री देवी	सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा प्रखंड के सिंगवाहिनी पंचायत अन्तर्गत नरकटिया ग्राम के विणा देवी, पति-स्व० दिनेश ठाकुर को प्रधानमंत्री आवास योजना से बन रहे घर को दबंग और प्रशासन मिलकर नहीं बनने दे रहा है। वीणा देवी का घर बनवाने की माँग के संबंध में ।	28.03.2023	23/23-1507 15.05.2023	ग्रामीण विकास विभाग के ज्ञापांक 1875929, दिनांक 30 जून, 2023 से उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट-09)
10	श्री मो० कामरान	नवादा जिलान्तर्गत गोविन्दपुर प्रखण्ड में प्रखण्ड सह-अंचल कार्यालय का नया भवन निर्माण कराने की माँग के संबंध में ।	06.03.2023	12/23-693 23.03.2023	ग्रामीण विकास विभाग के ज्ञापांक 1676950, दिनांक 03 अप्रील, 2023 से उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट-10)
11	श्रीमती प्रतिमा कुमारी	जिला वैशाली, प्रखंड देसरी के भिखनपुरा पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत आवास प्लस की सूची में शामिल महादलितों के नामों को मनमाने ढंग से हटा दिया गया है, दोषी पदाधिकारी पर जाँचोपरांत कार्रवाई और हटाये गये नामों को जोड़ने की माँग के संबंध में ।	21.03.2023	19/23-1255 03.05.2023	ग्रामीण विकास विभाग के ज्ञापांक 2073048, दिनांक 12 सितम्बर, 2023 से उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट-11)
12	श्री अचमित ऋषिदेव	अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत गुणवंती वार्ड नं० 4 महादलित बस्ती के पास रजबैली जानेवाली पथ में धोबनिया माईनर में कल्भर्ट नहीं रहने से लोगों को आवागमन में कठिनाई होती है। उक्त स्थल पर जनहित में मनरेगा से मैं कल्भर्ट निर्माण कराने की माँग के संबंध में ।	21.03.2023	19/23-1231 03.05.2023	ग्रामीण विकास विभाग के ज्ञापांक 1894130, दिनांक 07 जुलाई, 2023 द्वारा उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट-12)
13	श्री मनोज मंजिल	पंचायत रोजगार सेवक मनरेगा कार्यों के निष्पादन के मुख्य अंग हैं। 15 सालों से अल्प मानदेय पर निष्ठापूर्वक कार्य का निर्वहन कर रहे हैं। पंचायत रोजगार सेवकों को मेडिकल सुविधा सहित हिमाचल प्रदेश राज्य की तर्ज पर नियमित कर वेतनमान देने के संबंध में ।	24.03.2023	21/23-1348 04.05.2023	ग्रामीण विकास विभाग के ज्ञापांक 1996961, दिनांक 16 अगस्त, 2023 द्वारा उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट-13)

क्र० सं०	माननीय सदस्यों का नाम।	संक्षिप्त विषय	सदन में उपस्थापन की तिथि।	विभाग को भेजा गया पत्रांक/दिनांक।	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक/दिनांक।
14	श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता	कम्पनियों के हित में बिहार से सस्ते मजदूरों की आपूर्ति के लिये सरकार मनरेगा मजदूरों को अपने द्वारा ही निर्धारित अकुशल मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 429 रु० नहीं दे रही है। इस संबंध में बिहार सरकार द्वारा पत्र देने की माँग के संबंध में ।	31.03.2023	24/23-1602 16.05.2023	ग्रामीण विकास विभाग के ज्ञापांक 2482278, दिनांक 18 जनवरी, 2024 द्वारा उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट-14)
15	श्री सत्यदेव राम	बिहार में अकुशल मजदूरों के लिये न्यूनतम मजदूरी 429 रु० तय की गयी है मगर मनरेगा के अकुशल मजदूरों को मात्र 228 रुपया ही मिलता है। मनरेगा मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी लागू करने हेतु सरकार एवं सदन से प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार को भेजने की माँग के संबंध में ।	31.03.2023	24/23-1617 16.05.2023	ग्रामीण विकास विभाग के ज्ञापांक 2482247, दिनांक 18 जनवरी, 2024 द्वारा उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट-15)
16	श्री अरूण शंकर प्रसाद	बिहार ग्रामरक्षा दल नियमावली-2004 के अनुसार राज्य के सभी पंचायतों में बिना मानदेय के वर्षो से सुरक्षा एवं अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करती हैं। इनलोगों की आर्थिक स्थिति दयनीय है। सरकार से मनरेगा योजना में समायोजन करते हुये न्यूनतम मजदूरी के तर्ज पर मानदेय भुगतान की माँग के संबंध में ।	05.04.2023	28/23-1534 15.05.2023	ग्रामीण विकास विभाग के ज्ञापांक 2482307, दिनांक 18 जनवरी, 2024 द्वारा उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट-16)
17	श्री महा नंद सिंह	अरवल जिला के बलिदाद में 14 दलित भूमिहीन परिवारों के घर बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। मैं सभी 14 दलित भूमिहीन परिवारों को पुनर्वास करने की माँग के संबंध में ।	11.07.2023	40/23-2678 27.07.2023	ग्रामीण विकास विभाग के ज्ञापांक 2480975, दिनांक 18 जनवरी, 2024 द्वारा उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट-17)

उपर्युक्त शून्यकाल सूचनाओं के आलोक में प्राप्त विभागीय कार्यान्वयन प्रतिवेदन पर शून्यकाल समिति की ग्रामीण विकास विभाग के साथ दिनांक 18 जनवरी, 2024 की विभागीय बैठक में समीक्षोपरान्त सभी कार्यान्वयन प्रतिवेदन को संतोषप्रद पाया है। जिसके आलोक में इसे निष्पादित मान लिया गया है।

निष्कर्ष

क्रमांक 01 से 17 तक पर उल्लिखित माननीय सदस्यों द्वारा सदन में पूछे गये शून्यकाल सूचनाओं को विभागीय कार्यान्वयन प्रतिवेदन के आलोक में निष्पादित किया जाता है।

नीतीश मिश्रा,
सभापति,
शून्यकाल समिति, बिहार विधान सभा, पटना ।

परिशिष्ट-1

श्री महबूब आलम, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल की सूचना के संबंध में ।

शून्यकाल की सूचना

मनरेगा ग्रामीण जनता के लिये रोजगार का एक बड़ा माध्यम है, अभी मनरेगा के तहत कब्रिस्तान, श्मशान घाट एवं खेल का मैदान की मिट्टी भराई के काम पर रोक लगा दी गयी है ।

मनरेगा में मिट्टी भराई के काम को पूर्ववत् चालू कराने की माँग करता हूँ ।

वक्तव्य

महात्मा गाँधी नरेगा अन्तर्गत अनुमेय कार्यों की सूची में सम्मिलित कार्यों का क्रियान्वयन किया जाता है। भारत सरकार द्वारा निर्गत Annual Master Circular, 2022-23 के अनुसार 45 श्रेणियों के कार्यों को MIS (Management Information System) में सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें 266 प्रकार के अनुमेय कार्य सम्मिलित है।

अनुमेय कार्यों की सूची में Construction of play field for community, Repair and maintenance of play field for community तथा Constructions of Crematorium for community, Repair and maintenance of Crematorium for community सम्मिलित है। अनुमेय कार्यों में सम्मिलित किसी भी योजना के क्रियान्वयन पर रोक नहीं लगायी गयी है।

परिशिष्ट-2

पत्रांक 2041/जि०ग्रा०वि०अभि०

कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गया ।

प्रेषक

उप-विकास आयुक्त,
गया।

सेवा में

उप-मिशन निदेशक,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना ।

गया, दिनांक 08 जून, 2023 (ई)।

विषय--श्री विनय कुमार, माननीय स०वि०स० बिहार द्वारा सदन में प्रस्तुत किये गये शून्यकाल की सूचना का उत्तर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

प्रसंग--भवदीय पत्रांक 1581506, दिनांक 17 फरवरी, 2023 एवं अवर-सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 965228, दिनांक 31 मई, 2022 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के आलोक में श्री विनय कुमार, माननीय स०वि०स० बिहार द्वारा सदन में प्रस्तुत एवं दिनांक 03 मार्च, 2022 को सदन में राज्य सरकार द्वारा ग्रहण किये गये शून्यकाल की सूचना का उत्तर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया था, जिसका उत्तर निम्न प्रकार है:--

शून्यकाल की सूचना

"मैं राज्य सरकार से मांग करता हूँ कि गया जिला के परैया प्रखंड के ग्राम-सखवां में पुराने तालाब की सफाई एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य शीघ्र कराया जाये ।"

प्रति उत्तर

इस कार्यालय पत्रांक 1225//जि०ग्रा०वि०अभि०, गया, दिनांक 23 मार्च, 2023 से कार्यक्रम पदाधिकारी, परैया को निदेशित किया गया था ।

कार्यक्रम पदाधिकारी, परैया ने अपने पत्रांक 56, दिनांक 7 जून, 2023 से प्रतिवेदन किया गया है कि कनीय अभियंता द्वारा प्राक्कलन तैयार करने के क्रम में स्थल पर जाँचोपरान्त पाया गया है कि तालाब पाँच एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में है। तालाब में गाँव के नाला का गंदा पानी का बहाव है, जिसके कारण तालाब कीचड़ एवं पानी से भरा हुआ है। कीचड़ एवं पानी रहने के कारण पूरा तालाब जलकुम्भी से भरा हुआ है।

तालाब का क्षेत्रफल पाँच एकड़ से अधिक है एवं तालाब में कीचड़, पानी एवं जलकुम्भी से भरा रहने के कारण मनरेगा मजदूरों से कार्य कराना संभव नहीं है।

उक्त आलोक में कार्यालय पत्रांक 2035//जि०ग्रा०वि०अभि०, गया, दिनांक 7 जून, 2023 से पुनः कार्यपालक अभियंता, लघु जल संसाधन प्रमंडल, गया से परैया प्रखंड के ग्राम-सखवां में पुराने तालाब की सफाई एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य शीघ्र कराने का निदेश दिया गया है।

विश्वासभाजन,
(ह०) अस्पष्ट,
उप-विकास आयुक्त,
गया ।

परिशिष्ट-3

श्री रामबली सिंह यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा 17वें विधान सभा के 5वें सत्र में दिनांक 14 मार्च, 2022 को प्रस्तुत शून्यकाल ।

शून्यकाल

आवास प्लस योजना की सूची बनाने में खानापूर्ति पूरी हुयी है, पंचायतों के कई गाँवों में एक भी गरीबों का नाम नहीं जोड़ा गया है। प्रत्येक गाँव में फिर से अभियान चलाकर नाम जोड़ने की माँग करता हूँ।

सरकार का वक्तव्य

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों के आलोक में जून, 2018 से 07 मार्च, 2019 की अवधि में आवास एप प्लस से सर्वेक्षण के उपरांत राज्य में कुल 3257990 परिवारों का नाम आवास प्लस सूची में जोड़ा गया है। इस सूची के लाभुकों का आधार सिडिंग एवं मनरेगा जॉब कार्ड मैपिंग करते हुये योजना की मार्गदर्शिका में निहित प्रावधानों के आलोक में प्रतीक्षा सूची का निर्माण किया गया। इस प्रक्रिया में आवास प्लस सूची से अयोग्य लाभुकों के विलोपन के पश्चात् 2447235 परिवार प्रतीक्षा सूची में उपलब्ध है। जिलों से आवास प्लस सूची से छूटे हुये आवास की आवश्यकता वाले परिवारों का पुनः सर्वेक्षण कराने हेतु प्राप्त अनुरोध के आलोक में विभागीय पत्रांक 702170, दिनांक 11 जनवरी, 2022 से ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अनुरोध किया गया है।

परिशिष्ट-4

श्रीमती गायत्री देवी, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल की सूचना संख्या 16/2022

सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड में पंचायतों की संख्या 27 है जो बहुत बड़ा है और जनसंख्या चार लाख से अधिक है, प्रशासनिक कार्य में कठिनाई होती है।

अत: मैं सरकार से मांग करती हूँ कि सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड को दो भाग कर एक और नया प्रखंड बनावें।

सरकार का वक्तव्य

सीतामढ़ी जिलान्तर्गत परिहार प्रखंड के पंचायतों को मिलाकर एक नया प्रखंड का दर्जा दिये जाने के संबंध में जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी से प्रखंड सृजन संबंधी विहित प्रपत्र (16 कॉलम में) में पूर्ण प्रतिवेदन प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। पूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् निर्धारित प्रक्रिया के तहत अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

परिशिष्ट-5

श्री सुनिल मणि तिवारी, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल की सूचना संख्या 22/2021

पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत लगभग 29 वर्ष पूर्व संग्रामपुर प्रखंड की स्थापना हुई थी, परंतु अभीतक एक छोटा सा सामुदायिक भवन में चल रहा है।

अत: जनहित में यथाशीघ्र नया भवन बनवाने का मैं सदन से माँग करता हूँ ।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत संग्रामपुर प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय, सामुदायिक भवन में संचालित है ।

राज्य सरकार सभी नवसृजित एवं पुराने वैसे प्रखंड जिनके जीर्णोद्धार/मरम्मती की आवश्यकता है, उनके कार्यालय एवं आवासीय भवन तथा परिसर विकास के लिये कृतसंकल्पित है। अबतक 82 प्रखंडों में प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय-सह-आवासीय भवन का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही, 101 प्रखण्डों में आधारभूत संरचना की उपलब्धता हेतु प्रखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र' का भी निर्माण कराया जा रहा है।

शेष जीर्ण-शीर्ण, जर्जर प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय एवं आवासीय परिसर को चरणबद्ध तरीके से प्राथमिकता के आधार पर निर्माण कराने की सरकार की योजना है।

परिशिष्ट-6

श्री महबूब आलम, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल की सूचना

आंध्र प्रदेश सरकार की तर्ज पर बिहार सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के लॉकडाउन काल के सभी प्रकार के कर्जों को माफ और उनके लिये रोजगार सृजन की व्यवस्था करने की माँग करता हूँ।

सरकार का वक्तव्य

बिहार राज्य में स्वयं सहायता समूहों का गठन पंचसूत्र (नियमित बैठक, नियमित बचत, नियमित लेन देन, नियमित वापसी, नियमित लेखा संधारण) के अवयवों पर आधारित है। इसी तर्ज पर संबंधित समूहों का क्षमतावर्धन किया जाता है और पूंजी का उपयोग स्वरोजगार बढ़ाने एवं आजीविका के अन्य संबंधित पहलुओं पर उपयोग करने हेतु सदस्यों को प्रेरित किया जाता है। समूहों ने अपनी क्रियाशीलता की निरन्तरता को बनाये रखा है तथा वित्तीय अनुशासन का पालन करते हुये बैंकों का ऋण वापस किया है। यही कारण है कि बैंक समूहों को ऋण देने हेतु तत्परता दिखाते हैं एवं इससे समूहों के स्थायित्व (Sustainability) को बल मिलता है। उपलब्ध करवाये गये पूंजी की बदौलत स्वरोजगार के सृजन को दिशा मिलती है। उपलब्ध पूंजी से सदस्यों ने कृषि संबंधित कार्य, पशुपालन से संबंधित कार्य एवं विभिन्न तरह के उद्यम को स्थापित करके स्वरोजगार को बढ़ाया है। साथ ही ग्रामीण बाजार, शिल्प संघ, उत्पादक समूह एवं उत्पादक कंपनी बनाकर भी स्वरोजगार के माध्यम को मजबूत किया है। स्वयं सहायता समूह के कदम निरंतर अपनी विश्वसनीयता को उच्चतर मापदंडों में स्थापित करने हेतु उठते रहे हैं।

बिहार सरकार के निर्णय के आलोक में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को स्कूली छात्र-छात्राओं के पोशाक की सिलाई का कार्य करने की जिम्मेदारी दी गयी है ताकि स्वरोजगार के अवसरों को विस्तारित किया जा सके। साथ ही सरकारी जिला एवं अनुमंडल अस्पतालों में दीदी की रसोई के माध्यम से मरीजों को भोजन उपलब्ध करवाने तथा जल-जीवन हरियाली कार्यक्रम के अन्तर्गत नव सृजित तालाबों को समूहों के द्वारा प्रबंधन का कार्य करने की योजना है ताकि मछली पालन एवं अन्य संबंधित स्वरोजगार के अवसर निरंतर बढ़ते रहें ।

स्वयं सहायता समूहों में उद्यमशीलता को बढ़ाने हेतु बैंकों से प्राप्त होने वाली ऋण राशि पर ब्याज अनुदान प्रावधानित है। इस हेतु बिहार के सभी जिलों को दो वर्गों में बांटा गया है। प्रथम वर्ग के जिलों में सभी समूहों को 7% ब्याज दर पर ही ऋण उपलब्ध कराया जाता है एवं उस वर्ग में ससमय वापसी करने वाले समूहों को अतिरिक्त 3% की छूट ब्याज में मिलती है। अर्थात प्रभावी ब्याज दर मात्र 4% होती है। द्वितीय वर्ग के जिलों में समूहों द्वारा ससमय ऋण वापसी पर 5.5% तक की छूट ब्याज दर में मिलती है।

परिशिष्ट-7

श्री मुकेश कुमार रौशन, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल की सूचना संख्या 34/2022-166

सरकार के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारियों के अधिकारों एवं कर्तव्यों में कटौती की गयी है। जिससे बी०डी०ओ० एवं बी०पी०आर०ओ० सहित प्रमुख के बिच तनाव व्याप्त है।

अतः प्रखंडों में प्रशासनिक अधिकार एवं संपूर्ण नियंत्रण पूर्व की तरह प्रखंड विकास पदाधिकारी को दी जाये।

सरकार का वक्तव्य

वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी (बी०पी०आर०ओ०) को पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी घोषित किया गया है।

परिशिष्ट-8

श्री रामबली सिंह यादव, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल की सूचना के संबंध में ।

जहानाबाद जिला अन्तर्गत घोषी प्रखण्ड के गिरधरपुर महादलित टोला के घरों में पानी जमा है इसलिये किसानों द्वारा गली से लेकर बगल के खेत तक निजी बताया जा रहा है। प्रत्येक घर में सोख्ता बनवाने या पानी निकासी का कोई उपाय करने का माँग सरकार से करता हूँ ।

सरकार का वक्तव्य

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जहानाबाद के पत्रांक 1089, दिनांक 08 जून, 2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सर्वे का कार्य शुरू कर दिया गया है और मनरेगा/षष्टम वित्त/15वां वित्त एवं स्वच्छता के मद से योजना लेकर जल्द ही समस्या का समाधान करा दिया जायेगा ।

परिशिष्ट-9

श्रीमती गायत्री देवी, माननीय स०वि०स० द्वारा 17वें बिहार विधान सभा के 08वें सत्र में पूछे गये शून्यकाल की संख्या 23/2023

शून्यकाल की सूचना

सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा प्रखंड के सिंगवाहिनी पंचायत अन्तर्गत नरकटिया ग्राम के विणा देवी, पति स्वर्गीय दिनेश ठाकुर को प्रधानमंत्री आवास योजना से बन रहे घर को दबंग और प्रशासन मिलकर नहीं बनने दे रहा है।

अंत: वीणा देवी का घर सरकार से बनवाने की माँग करती हूँ ।

सरकार का वक्तव्य

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वित्तीय वर्ष 2021-22 अतर्गत ग्राम पंचायत राज-सिंहवाहिनी, ग्राम-नरकटिया के लाभुक श्रीमती वीणा देवी, पति-स्व० दिनेश ठाकुर (PMAY-GID-1460808526) एवं उनके पड़ोसी के बीच विवाद होने के कारण अनुमण्डल पदाधिकारी, सीतामढ़ी के द्वारा धारा 107 लगाया गया है। लाभुक द्वारा प्लिंथ स्तर तक निर्माण कार्य किया गया है, जिसके कारण उन्हें द्वितीय किस्त का भुगतान कर दिया गया है।

परिशिष्ट-10

मो० कामरान, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल की संख्या 12/2023

शून्यकाल की सूचना

"नवादा जिला अन्तर्गत गोविन्दपुर प्रखंड में प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय का नया भवन निर्माण कराने की माँग करता हूँ ।"

सरकार का वक्तव्य

राज्य सरकार सभी नवसृजित एवं पुराने वैसे प्रखंड जिनके जीर्णोद्धार/मरम्मती की आवश्यकता है, उनके कार्यालय एवं आवासीय भवन तथा परिसर विकास के लिये कृतसंकल्पित है। अबतक 82 प्रखंडों में प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय-सह-आवासीय भवन का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही, 101 प्रखण्डों में आधारभूत संरचना की उपलब्धता हेतु प्रखण्ड सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र' का भी निर्माण कराया जा रहा है।

शेष जीर्ण-शीर्ण, जर्जर प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय एवं आवासीय परिसर को चरणबद्ध तरीके से प्राथमिकता के आधार पर निर्माण कराने की सरकार की योजना है।

परिशिष्ट-11

श्रीमती प्रतिमा कुमारी, माननीय स०वि०स० से 17वें बिहार विधान सभा के 08वें सत्र में प्राप्त शून्यकाल की सूचना ।

जिला वैशाली, प्रखंड-देसरी के भिखनपुरा पंचायत में प्रधानमंत्री योजना अन्तर्गत आवास प्लस की सूची में शामिल महादलितों के नामों को मनमाने ढंग से हटा दिया गया है, मैं सदन के माध्यम से दोषी पदाधिकारी पर जाँचोपरांत कार्रवाई और हटाये गये नामों को जोड़ने की माँग करती हूँ ।

सरकार का वक्तव्य

वैशाली जिला के देसरी प्रखण्ड के ग्राम पंचायत-भिखनपुरा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस की प्रारंभिक सूची में अनुसूचित जाति वर्ग के कुल 70 लाभुकों का नाम शामिल हुआ था । दिनांक 04 जनवरी, 2022 को आयोजित ग्राम सभा की कार्यवाही के उपरांत प्रस्ताव में कुल 34 अनुसूचित जाति वर्ग के लाभुकों को अयोग्य उल्लेखित किया गया है। अंतिम प्रतीक्षा सूची निर्माण के पूर्व ही सर्वसम्मति से ग्राम सभा द्वारा इन्हें विलोपित किया गया है।

ग्राम सभा की कार्यवाही के उपरांत प्रस्ताव में उल्लेखित योग्य कुल 36 अनुसूचित जाति वर्ग के लाभुकों में से 34 लाभुकों का आवास सॉफ्ट पर अंतिम प्राथमिकता सूची का निर्धारित कर प्रविष्टि कर दिया गया ।

ग्राम सभा में योग्य श्रेणी में रखे गये दो लाभुकों श्रीमती सोनमा देवी एवं श्रीमती गुन्जा देवी का नाम अंतिम प्रतीक्षा सूची में दर्ज नहीं पाया गया। कार्यपालक सहायक, प्रखंड देसरी के द्वारा आवास सॉफ्ट पर प्रविष्टि के क्रम में मानवीय भूलवश इसे विलोपित कर दिया गया। इस संबंध में प्रखंड कार्यालय, देसरी के पत्रांक 894, दिनांक 7 जुलाई, 2023 से संबंधित कर्मी से स्पष्टीकरण की माँग की गयी है। छूटे हुये दोनों लाभुकों (श्रीमती सोनमा देवी एवं श्रीमती गुन्जा देवी) को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत चयनित कर आवास का लाभ दिया गया है।

परिशिष्ट-12

श्री अचमित ऋषिदेव, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल सूचना ।

अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत गुणवंती वार्ड नं० 4 महादलित बस्ती के पास रजवैली जानेवाली पथ में धोबनिया माईनर में कल्भर्ट नहीं रहने से लोगों को आवागमन में कठिनाई होती है। उक्त स्थल पर जनहित में मनरेगा से मैं कल्भर्ट निर्माण कराने की माँग करता हूँ ।"

सरकार का वक्तव्य

उप-विकास आयुक्त, अररिया के पत्रांक 1423, दिनांक 20 जून, 2023 द्वारा सूचित किया गया है कि कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, बथनाहा से उक्त स्थल पर अपने विभाग से कार्य कराने अथवा मनरेगा से कार्य कराने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र की माँग की गयी है। संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र मिलते ही उक्त स्थल पर मनरेगा से कल्भर्ट निर्माण कार्य कराया जायेगा ।

परिशिष्ट-13

श्री मनोज मंजिल, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल सूचना के संबंध में ।

शून्यकाल की सूचना

पंचायत रोजगार सेवक मनरेगा कार्यों के निष्पादन के मुख्य अंग है। 15 सालों से अल्प मानदेय पर निष्ठापूर्वक कार्य का निर्वहन कर रहे हैं। पंचायत रोजगार सेवकों को मेडिकल सुविधा सहित हिमाचल प्रदेश राज्य की तर्ज पर नियमित कर वेतनमान देने की सरकार से माँग करता हूँ।

सरकार का वक्तव्य

बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी (BRDS) कार्यालय आदेश संख्या 1395, दिनांक 8 नवम्बर, 2018 द्वारा BRDS कर्मियों (पंचायत रोजगार सेवक सहित) का मानदेय पुनरीक्षण किया गया है एवं सभी पंचायत रोजगार सेवकों को उक्त आदेश के आलोक में चिकित्सा भत्ता के रूप में मो० 1000 (एक हजार) रुपये प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है। साथ ही उक्त कार्यालय आदेश के आलोक में प्रतिवर्ष इन कर्मियों के मूल मानदेय का 4% (चार प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि का लाभ दिया जा रहा है।

पंचायत रोजगार सेवकों को नियमित करने पर कोई प्रस्ताव बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी (BRDS) अंतर्गत विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट-14

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल की सूचना के संबंध में ।

शून्यकाल की सूचना

कम्पनियों के हित में बिहार से सस्ते मजदूरों की आपूर्ति के लिये सरकार मनरेगा मजदूरों को अपने द्वारा ही निर्धारित अकुशल मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 429 रुपये नहीं दे रही है। इस संबंध में बिहार सरकार द्वारा पत्र दिया जाये ।

सरकार का वक्तव्य

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा महात्मा गाँधी नरेगा अन्तर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्यों के लिये मजदूरी का दर निर्धारित किया जाता है। इस वित्तीय वर्ष (2023-24) हेतु महात्मा गाँधी नरेगा अन्तर्गत बिहार में मजदूरी का दर रु० 228 प्रतिदिन अधिसूचित किया गया है, जो दिनांक 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी है।

परिशिष्ट-15

श्री सत्यदेव राम, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल की सूचना के संबंध में ।

शून्यकाल की सूचना

बिहार में अकुशल मजदूरों के लिये न्यूनतम मजदूरी 429 रुपये तय की गयी है। मगर मनरेगा के अकुशल मजदूरों को मात्र 228 रुपया ही मिलता है। मनरेगा मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी लागू करने हेतु सरकार एवं सदन से प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार को भेजने की माँग करता हूँ ।

सरकार का वक्तव्य

महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत अकुशल मजदूरी के भुगतान हेतु प्रत्येक वर्ष ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा मजदूरी दर अधिसूचित की जाती है। अधिसूचित दर पर व्यय की गयी अकुशल मजदूरी मद की समस्त राशि का शत-प्रतिशत वहन केन्द्रांश द्वारा किया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अकुशल मजदूरी दर से अधिक मजदूरी दर का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है। उस परिस्थिति से भारत सरकार द्वारा अधिसूचित मजदूरी दर से अधिक व्यय की गयी राशि का वहन राज्य सरकार को करना पड़ेगा ।

परिशिष्ट-16

श्री अरूण शंकर प्रसाद, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल की सूचना के संबंध में ।

शून्यकाल की सूचना

बिहार ग्रामरक्षा दल नियमावली, 2004 के अनुसार राज्य के सभी पंचायतों में बिना मानदेय के वर्षों से सुरक्षा एवं अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करती है। इन लोगों की आर्थिक स्थिति दयनीय है, सरकार से मनरेगा योजना में समायोजन करते हुये न्यूनतम मजदूरी के तर्ज पर मानदेय भुगतान की माँग करता हूँ ।"

सरकार का वक्तव्य

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) एक माँग आधारित योजना है। जिसके अंतर्गत प्रत्येक इच्छुक ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को काम की माँग किये जाने पर एक वित्तीय वर्ष में प्रति परिवार अधिकतम 100 दिनों का अकुशल श्रम दिये जाने का प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों की तरह ग्रामरक्षा दल के सदस्य भी संबंधित ग्राम पंचायत में पंजीकरण कराकर महात्मा गाँधी नरेगा अन्तर्गत 100 दिनों का अकुशल श्रम का रोजगार प्राप्त कर सकते हैं ।

परिशिष्ट-17

श्री महा नन्द सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा 17वें बिहार विधान सभा के 09वें सत्र में पूछे गये शून्यकाल की सूचना ।

अरवल जिला के बलिदाद में 14 दलित-भूमिहीन परिवारों के घर बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है । मैं सभी 14 दलित भूमिहीन परिवारों को पुनर्वास करने की माँग करता हूँ ।

सरकार का वक्तव्य

अरवल जिला के कलेर प्रखंड के बलिदाद में अतिक्रमण हटाने से प्रभावित 14 परिवारों का पक्का मकान है । उन्हें आवास की कोई समस्या नहीं है ।

बि०स०मु० 105 (एल०ए०) - 2024-25 डी०टी०पी० -- 300

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2025